[2022] 7 एस.सी.आर. 493

शिव कुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1503 / 2022)

7 सितंबर 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

दण्ड संहिता, 1860: धारा 411 - चोरी की हुई संपत्ति को धोखाधड़ी से प्राप्त करना - मुकदमा था कि अपीलकर्ता-आरोपी और सह-आरोपी ने जानबूझकर ट्रक से लूटी गई वस्त्रें प्राप्त की, जिन्हें वे जानते थे कि ये चोरी की हुई संपत्ति हैं -निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 411 के तहत दोषी माना - उच्च न्यायालय ने दोषी मानने की पुष्टि की - अपील पर, यह कहा गया: किसी व्यक्ति को चोरी की हुई संपत्ति के साथ व्यवहार करते हुए स्थित करने के लिए, व्यक्ति का 'विश्वास' कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण है - यह काफी नहीं है कि मुकदमा को साबित करना हो कि आरोपी या तो लापरवाह था या उसे लगा कि संपत्ति चोरी की गई थी, या कि वह सामग्री की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त पूछताछ नहीं कर पाया- विवादित सामग्री की प्रारंभिक प्राप्ति अवैध नहीं हो सकती, लेकिन यह जानकर उसे रखना कि यह चोरी की हुई संपत्ति थी, इसे दोषी बना देता है - इस विशेष मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज और जब्ती ज्ञापन में अभिजीत की प्राप्ति से जब्ती की गई सामग्रियों की मूल्य में असंगति है - इसके अलावा, अभिजीत अपनी दुकान में सामान्य रूप से बर्तन बेचता था और उसके पास ऐसी घरेलू सामग्री होने में कुछ असामान्य नहीं था, जैसा कि उससे जब्ती किया गया - जब्ती ज्ञापन पर मोहर की अनुपस्थिति और साक्ष्यों में असंगतियाँ जब्ती प्रमाण को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना देती हैं - बर्तनों को कम मूल्य पर बेचने का तथ्य स्वयं में नहीं, निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है कि अभिजीत को उन सामग्रियों की चोरी का पता था - इस प्रकार, मुकदमा में यह स्थापित करने में विफल रहा कि अभिजीत को पता था कि उसके प्राप्ति से सीज़ की गई सामग्री चोरी की हुई संपत्ति थी - अभिजीत के धारा 411 IPC के तहत दोषी मानने को खारिज किया गया।

अपील को स्वीकारते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह स्थापित करने के लिए कि किसी व्यक्ति का संलग्नता चोरी की हुई संपत्ति के साथ है, व्यक्ति के "विश्वास" कारक का महत्व अत्यधिक है। सफल मुकदमा के लिए, यह काफी नहीं है कि यह साबित किया जाए कि आरोपी या तो लापरवाह था या उसे लगा कि संपत्ति चोरी की गई थी, या उसने सामग्री की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त पूछताछ नहीं की। विवादित सामग्री की प्रारंभिक प्राप्ति अवैध नहीं हो सकती, लेकिन जानकर उसे रखना कि यह चोरी की हुई संपत्ति थी, इसे दोषी बना देता है। [पैरा 15]

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में रु. 12,50,000/- का माल (बर्तन, कपड़े, होजरी सामग्री और इलेक्ट्रिकल सामग्री) ट्रक में लोड किया जाने का कुल मूल्य दिखाया गया है। हालांकि, जब्ती ज्ञापनमें केवल रु.20,000/- का माल (स्टील के सामग्री, टॉर्च, एल्युमिनियम बॉक्स) जिसे अपीलकर्ता के अधिकार से जब्त किया गया था, वह दिखाया गया है। इस असमान और अतुलनीय आंकड़ों को देखते हुए, इन मूल्यों को IPC की धारा 411 के तहत अपराध की पायी जाने के लिए तर्कसंगत रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता सामान्य रूप से अपनी दुकान में बर्तन बेचता था और उसके पास ऐसे घरेलू सामग्री होना कुछ भी असामान्य नहीं है, जैसा कि उससे जब्त किया गया। [पैरा 16]

3. इसके अलावा, PW-22 पुलिस स्टेशन पर उप-निरीक्षक थे जिन्होंने जानकारी प्राप्त की थी कि कपड़े और बर्तन कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। PW-22 जब जब्ती ज्ञापनपर अपना हस्ताक्षर साबित कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता-आरोपी के पास एक बर्तन की दुकान थी और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से "जल्दी के कारण", जब्ती ज्ञापनपर मुहर नहीं लगाई गई थी। PW-22 की गवाही ने सुझाव दिया कि जब्ती ज्ञापनतैयार करते समय दोषपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी गवाही यह नहीं दिखाती कि अपीलकर्ता को पता था कि उसने ऐसे सामग्री प्राप्त की थी, जिसमें ट्रक में चोरी हुए माल से कोई संबंध था। [पैरा 18]

4. PW-5, PW-22 और उप-निरीक्षक (PW-24) की गवाहियों में विरोधाभास भी काफी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, PW-5 के अनुसार, बर्तन PW-24 द्वारा PW-5 की उपस्थिति में जब्त किए गए थे, हालांकि, PW-24 ने अपनी गवाही में किसी संपत्ति को जब्त करने का इनकार किया है, जिसमें अधिकार की कमी होती है, और कहा “जब्ती पुलिस स्टेशन, पानागढ़” द्वारा की जानी चाहिए थी और पुलिस स्टेशन कोटवाली, सतना के अधिकारी द्वारा नहीं। इसके अलावा, रुचिरंजन की बात है, PW-24 की गवाही का समर्थन PW-22 द्वारा दिया जाता है कि PW-24 जब्त प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ता के घर पर मौजूद नहीं थे। उसने यह भी इनकार किया है कि PW-24 ने PW-5 को अपीलकर्ता के घर पर जब्ती की गवाही के लिए बुलाया। इसके अलावा, PW-24 द्वारा लिखित जब्ती ज्ञापन का समर्थन भी उसके

द्वारा नहीं किया गया है। इन सभी असंगतताओं को देखते हुए, जब्त साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया जाता है। [पैरा 20]

5. विधिक प्रस्ताव को वर्तमान परिस्थितियों पर लागू करते हुए, अनिवार्य निष्कर्ष है कि अभियोजन ने साबित नहीं किया है कि अपीलकर्ता को ज्ञान था कि उसके अधिकार से जब्त सामग्री चोरी की गई है। यह मौलिक तत्व अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 411 के तहत आरोप लगाने के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक आरोपी के खुलासा वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता को ज्ञान था कि बर्तन चोरी की गई सामग्री है। अभियोजन ने भी यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता को विश्वास करने के लिए कोई आधार था कि उससे जब्त बर्तन चुराई गई सामग्री थे। कम मूल्य पर बर्तन बेचने का तथ्य स्वयं में यह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलकर्ता को उन सामग्री की चोरी का पता था। आवश्यक तत्व *मेंस रिया* का धारा 411 के तहत IPC के आरोप के लिए स्पष्ट रूप से स्थापन नहीं हुआ है। [पैरा 22, 23]

हरिचरण कुर्मी & अन्य बनाम. बिहार राज्य AIR 1964 SC 1184 : [1964] 6 SCR 623; _डॉ. विमला बनाम. दिल्ली प्रशासन_ AIR 1963 SC 1572 : [1963] 2 Suppl. SCR 585; _त्रिम्बक बनाम. मध्य प्रदेश राज्य_ AIR 1954 SC 39 - पर भरोसा किया गया।

संभू दास उर्फ़ बिजॉय दास & अन्य बनाम. असम राज्य (2010) 10 SCC 374 : [2010] 11 SCR 493; _नागप्पा डोंडीबा कलाल बनाम. कर्नाटक राज्य_ (1980) Suppl. SCC 336; _हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाम. कॉर्क निर्माण कंपनी_ (2007) 8 SCC 120 : [2007] 9 SCR 508 - संदर्भित किया गया।

<u>मामले का नियम संदर्भ</u>

[2010] 11 SCR 493	पैरा 10.1	में संदर्भित
(1980) Suppl. SCC 336	पैरा 10.2	में संदर्भित
[1964] 6 SCR 623	पैरा 11	पर भरोसा किया
[1963] 2 Suppl. SCR 585	पैरा 14	पर भरोसा किया
AIR 1954 SC 39	पैरा 21	पर भरोसा किया
[2007] 9 SCR 508	पैरा 24	में संदर्भित

आपराधिक अपीलीय अधिकारिकता: आपराधिक अपील सं. 1503 का 2022।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रमुख सीट जबलपुर में आपराधिक अपील सं. 1261 का 2006 में निर्णय और आदेश की तारीख 12.03.2019 से।

लव कुमार अग्रवाल, श्रीमती ज्योति मिश्रा, श्रीमती उषा गर्ग, राजेंद्र प्रसाद, शिव कुमार वत्स, वकील अपीलकर्ता के लिए।

जोयदीप रॉय, AAG, गोपाल झा, श्रीमती भारती त्यागी, उमेश कुमार यादव, वकील प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान किया गया।

2. अपीलकर्ता के पक्ष में उपस्थित मान्यवर लव कुमार अग्रवाल, वकील को सुना। मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिवादी के रूप में उपस्थित मान्यवर गोपाल झा, वकील को भी सुना।

3. इस अपील में चुनौती है निर्णय तारीख 12.03.2019 की जो कि आपराधिक अपील सं. 1261 / 2006 में था जिसके तहत अपीलकर्ता की सजा जो कि प्रायोगिक न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में “आई॰ पी॰ सी॰”) की धारा 411 के तहत थी, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखी गई थी। ऐसी सजा के लिए, अपीलकर्ता को सख्त कारावास (संक्षेप में "आर॰आई॰") की सजा दी गई थी २ साल के लिए और 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने की अदा की असमर्थता में, अतिरिक्त आर॰आई॰ 3 महीने के लिए आदेशित किया गया।

4. इस अपील में, सीमित सूचना मौलिक रूप से 4,10,2019 को केवल सजा की मात्रा पर जारी की गई थी लेकिन 9.05.2022 को, अपीलकर्ता के वकील की प्रस्तुति को देखते हुए, न्यायालय ने सजा की चुनौती को ही जांचने का निर्णय लिया। पहले, अपीलकर्ता को 6.09.2019 के न्यायालय के आदेश द्वारा समर्पण से मुक्त किया गया था।

5. सभी 3 मामलों के लिए एक ही निर्णय में, उच्च न्यायालय ने तीन अपीलों को निपटाया था, जिसमें एक साधु सिंह उपनाम विजयभान सिंह पटेल द्वारा दायर की गई अपील

भी शामिल थी, जिसे हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी माना गया था और जिसे, इसके अलावा, आजीवन कारावास सजा दी गई थी। अपीलकर्ता और एक शत्रुघ्न प्रसाद को हत्या के मामले में आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन चोरी की हुई संपत्ति प्राप्त करने के अपराध में आरोपित किया गया था और आई॰ पी॰ सी॰ की धारा 411 के तहत अपराध के लिए दोषी माना गया था।

6. अभियोजन का मामला, जैसा कि आलोचित निर्णय से पता चलता है, यह है कि 14.02.2003 को अभियोजक अभय कुमार जैन (PW-26) ने टाउन इंस्पेक्टर, सिटी कोतवाली, सतना को एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें सूचना थी कि एक ट्रक जिसमें घरेलू सामग्री लादी गई थी और जो जानकारी दाता की एक्सेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तहत चल रही थी, इंदौर से सतना में माल डिलीवरी के लिए आगे बढ़ी थी। ट्रक को गुरमेल सिंह ने चलाया था और 8.02.2003 को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कार्यालय से शुरू होकर, हालांकि, यह ट्रक 12.2.2003 तक सतना पहुंचने में विफल रहा था। 14.02.2003 को, जानकार जब पता चला कि ट्रक सतना की गल्ला मंडी पर खड़ी है, उसने पाया कि ट्रक से लादी गई सामग्री लापता थी। पहले, आई॰ पी॰ सी॰ की धारा ४०६ के तहत अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस की जांच के दौरान यह सामने आया कि ट्रक ड्राइवर को साधु सिंह उपनाम विजयभान सिंह और सह-अभियुक्त राजू उपनाम राजेंद्र ने मार डाला। ट्रक में लादी गई सामग्री की लूट पाट की गई थी और उन चुराई गई सामग्रियों को अभियुक्त शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद ने जानबूझकर चुराई गई संपत्ति मानते हुए धिष्टता से प्राप्त किया। अभियोजन का आगे का मामला है कि प्रश्नासित सामग्री को दो अभियुक्तों द्वारा सस्ती दर पर बेचा गया था, जो इस प्रकार, आई॰ पी॰ सी॰ की धारा 411 के तहत अपराधों के लिए आरोपित किए गए थे।

7. मुकदमा अदालत ने सह-अभियुक्त साधु सिंह को हत्या के अपराध और संबंधित आरोपों के लिए दोषी पाया। यह भी कहा गया कि अभियोजन यह साबित करने में समर्थ है कि अभियुक्त शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद ने ट्रक से लूटी गई सामग्रियों को पूरी तरह जानते हुए प्राप्त किया कि वह चुराई गई संपत्ति है, और इस प्रकार, दोनों अभियुक्तों ने आई॰ पी॰ सी॰ की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध किया।

8. प्रशिक्षित मुकदमा न्यायाधीष ने ध्यान दिया कि ट्रक से लूटी गई सामग्रियों को अभियुक्त और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद के अधिकार में जब्त किया गया था, जब्ती मेमों (Ext. P-4 और Ext. P-5) के माध्यम से। दोनों अभियुक्तों को सस्ती दर पर सामग्री बेचते हुए पाया गया। इसलिए, निष्कर्ष पे पहुंचाया गया कि अभियुक्त इस बारे में जागरूक थे कि उनसे जब्त की गई सामग्री चुराई गई संपत्ति थी। मुकदमा अदालत ने अभियुक्त को इस प्रकार

दोषी पाया और आई॰ पी॰ सी॰ की धारा 411 के तहत ऐसी सजा को अपील पर मान्यता दी गई, उच्च अदालत द्वारा, आलोचित निर्णय के माध्यम से।

वकील की प्रस्तुतियां

9.1 अभियुक्त के खिलाफ दोषी निर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए, श्री लव कुमार अग्रवाल, प्रशिक्षित वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय दंड संहिता॰ की धारा 411 के अपराध की मौलिक अंश बिल्कुल भी साबित नहीं हुए हैं क्योंकि अभियोजन ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्त को ज्ञान था कि जब्त सामग्रियाँ ट्रक से चुराई गई थीं। इसलिए, तर्क किया गया है कि जब तक अभियुक्त के ज्ञान को सामग्रियों की प्रकृति पर स्थापित नहीं किया जाता है, उसकी भारतीय दंड संहिता॰ की धारा 411 के तहत सजा कानून में बनाए नहीं रखी जा सकती।

10.1 दूसरी ओर, श्री गोपाल झा, प्रतिवादी - राज्य के लिए उपस्थित प्रशिक्षित वकील ने निचली अदालतों द्वारा लिये गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनके अनुसार, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री और सबूत हैं जो अभियुक्त की दोषिता को समझ से परे स्थापित करते हैं। राज्य के वकील ने आलोचित सजा को बनाए रखने के लिए *संभु दास उपनाम बिजोय दास और अन्य बनाम असम* [1] पर भी निर्भरता व्यक्त की है जहाँ न्यायमूर्ति एच॰ एल॰ दत्तू ने अनुच्छेद 136 की शक्ति को लागू करने के लिए निम्नलिखित में अपनी राय व्यक्त की थी:

> *"16. संविधान की धारा 136 के तहत, अपनी शक्तियों का अभ्यास करते हुए, जब समानता से तथ्य पर निष्कर्ष आते हैं और इसमें कोई कानूनी सवाल शामिल नहीं है और निष्कर्ष विकृत नहीं है, तो इस अदालत उच्च अदालत की निष्कर्षों को पुनः खोलेगी नहीं। संविधान की धारा 136, पक्षीय को अपील का अधिकार नहीं प्रदान करती। यह केवल सर्वोच्च अदालत पर एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसे धीरे-धीरे अभ्यास करने के लिए अभ्यास किया जाना चाहिए, जहां सख्त अन्याय की होती है जो सबूत को पढ़ने में अवैधता या गलत समझ या गलती से होता है या सबूत को नकारने, बाहर करने या अवैध रूप से स्वीकार करने से होता है।"*

10.2 राज्य के वकील द्वारा इस बात का इशारा किया जाता है कि प्रतिवादी 10.02.2003 से 27.06.2003 तक संपत्ति के अधिकार में था, अन्य आरोपी राजु उपनाम राजेंद्र और साधु उपनाम विजयभान सिंह के प्रकटीकरण विवरण के आधार पर। जैसा कि सामग्री को सस्ते दर पर बेचा जा रहा था, इससे तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत समझाया गया संघटक प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तुत है। अपने तर्क का

समर्थन करते हुए, श्री झा ने *नगप्पा डोंडिबा कलाल बनाम कर्नाटक राज्य2 पर भरोसा किया है, जहां न्यायमूर्ति एस। मुरतजा फजल अली ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की थी:*

> *"3. ... अधिकतम के रूप में चीजों को चोरी की गई संपत्ति साबित किया गया है जो प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है जानते हुए कि वे चोरी की गई थीं। आरोपी इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत मान्यता पर और भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत चोरी की गई संपत्ति के एक प्राप्तकर्ता के रूप में दोषी ठहराया जा सकता है जानते हुए कि वही चोरी हो गई थी।"*

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. प्रकटीकरण विवरण संबंधित कानून को इस अदालत ने *हरिचरण कुर्मी और अन्य बनाम बिहार राज्य* [3] के मामले में चर्चा की थी। यह देखा गया था:

"12. ...एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे आरोपी व्यक्ति के स्वीकार के सहारे आरोपी की संबंध में एक आपराधिक मामले के साथ सम्बोधित होते समय, सही दृष्टिकोण अदोप्ट करना है कि ऐसे एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अन्य सबूत पर विचार करें, और यदि कहा जाए कि सबूत संतोषजनक प्रतीत होता है और अदालत प्रवृत्त होती है जिससे यह समझा जा सकता है कि उसके खिलाफ आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है, तो अदालत स्वीकार की ओर मुड़ती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि जिस निष्कर्ष पर वह अन्य सबूत से पहुँचने का विचार कर रही है वह सही है...."

12. इस मामले में, हालांकि सामग्रियों की पुनः प्राप्ति हो गई थी, मुद्देरक्षण को आगे स्थिर करना होगा कि ऐसे सामग्रियों को चोरी की गई संपत्ति के रूप में जानकार ऐपेलेंट का मूल घटक है। आरोपी राजू उपनाम रजेंद्र और साधु उपनाम विजयभान सिंह के प्रकटीकरण विवरण पर पूरी तरह से निर्भर रहना अन्यथा आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराने के लिए ठोस नहीं होगा।

13, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411:

> **"411. धोखाधड़ी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना।**- जो कोई धोखाधड़ी से किसी चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करता है या रखता है, जानते हुए या इस बात का कारण समझते हुए कि वह चोरी की गई संपत्ति है, तो उसे दोनों प्रकार की कारावास से तीन वर्ष तक, या जुर्माना से, या दोनों से सजा होगी।"

उपरोक्त दंड अनुभाग को चार खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि: कोई भी, I. धोखाधड़ी से; II. किसी चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करता है या रखता है; III. जानता हुआ; या Iबनाम. उसे चोरी की गई संपत्ति होने का कारण समझता है, को दोनों प्रकार की कारावास से तीन वर्ष तक, या जुर्माना से, या दोनों सजा होगी।

14"धोखाधड़ी" को आईपीसी की धारा 24 के तहत परिभाषित किया गया है, "*जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाने या दूसरे व्यक्ति को गलत हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, उसे कहा जाता है कि वह वह चीज "धोखाधड़ी" से करता है।* एक अपराध के लिए मुख्य घटक है, , मेंस रेया। इसे *डॉ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन*[4] के मामले में न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने निम्नलिखित पैरा में सुंदरता से समझाया था:-

*"**9A**. मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने, कोतामराजु वेंकटराडु बनाम सम्राट [(1905)ILR 28 मद्रास 90, 96, 97] में विचार किया कि एक व्यक्ति मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में एक निजी प्रत्याशी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर रहा था, उपस्थित करता है कि वह अच्छे चरित्र का है और उसने अपने 20वें वर्ष को प्राप्त किया है। इस मामले में पाया गया कि प्रत्याशी ने प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर बना दिए थे। न्यायालय ने तय किया कि आरोपी जालसाजी में दोषी था। व्हाइट, सी.जे., ने कहा:*

"धोखाधड़ी का इरादा रखने का मतलब है, बेशक, धोखा देने से अधिक कुछ।" उसने इसे निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया:

"अगर ए बी से झूठ बोलता है और बी उस पर विश्वास करता है। बी को धोखा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ए ने बी को धोखाधड़ी करने का इरादा किया था। लेकिन, जैसा कि मुझे लगता है, अगर ए बी से झूठ बोलता है जिससे बी कुछ ऐसा करे, जिसे ए अपने लाभ या फायदे के रूप में महसूस करता है और जो, अगर किया जाए, तो बी के नुकसान या हानि में हो, तो ए बी को धोखाधड़ी करने का इरादा रखता है।" प्रमुख न्यायमूर्ति ने अपनी सोच की रेखा को निर्देशित किया, जिसमें अब उठाए गए सवाल पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, निम्नलिखित टिप्पणियों के माध्यम से: "मैं इस संदर्भ में यह भी देख सकता हूं कि धारा 24 के अनुसार जो व्यक्ति गलत लाभ या गलत हानि पहुंचाने का इरादा रखकर किसी चीज़ को करता है, वह धोखाधड़ी से करता है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों का इरादा हो। इस परिभाषा की समानता पर, कहा जा सकता है कि धोखा के माध्यम से एक ओर लाभ या फायदा प्राप्त करने का इरादा, या दूसरी ओर हानि या नुकसान पहुंचाने का इरादा है।" लेकिन, उसने इस मामले में पाया कि दोनों तत्व मौजूद थे। बेन्सन, जे. ने पृ. 114 पर इशारा किया:

मेरा मानना है कि यह क्रियावली धोखाधड़ी की थी, न केवल इसलिए क्योंकि आरोपी अपनी छल के माध्यम से अपने लिए फायदा प्राप्त करना चाहता था, बल्कि भी इसलिए क्योंकि यदि ऐसी क्रियावलियों को अनदेखा किया जाए तो विश्वविद्यालय को, और उसके माध्यम से जनता को अवश्य हानि होगी। यदि विश्वविद्यालय के उपनियमों की उल्लंघना के माध्यम से यह कहा जाए कि कुछ लोगों ने मैट्रिक्युलेशन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है और वे मैट्रिक्युलेशन के लाभ के योग्य हैं, जबकि वास्तव में, उन्होंने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है, तो विश्वविद्यालय को हानि होती है। अगर पाया जाए कि विश्वविद्यालय की प्रमाणपत्र केवल उस समय तक उन्हें पास मानता है और उन्हें मैट्रिक्युलेशन के लाभ में स्वीकार करता है, जब वे वास्तव में उस समय तक उन शर्तों को पूरा करते हैं जब तक विश्वविद्यालय उन्हें पास मानने का दावा नहीं करता।"

बोड्डम, जे., ने मुख्य न्यायाधीश से सहमत होते हुए और बेन्सन, जे. के साथ सहमत होते हुए इस निर्णय को स्वीकार किया। इस निर्णय में स्टीफन द्वारा रखे गए सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जो धोखाधड़ी करने की इरादा से बना है, पहला है धोखा देने का इरादा और दूसरा किसी व्यक्ति को वास्तविक हानि या संभावित हानि का जोखिम में डालने का इरादा; लेकिन न्यायाधीश धारा 24 की परिभाषा की तुलना पर इस बारे में भी विचार करने के लिए प्रवृत्त थे कि धोखाधड़ी करने वाले को लाभ या फायदा प्राप्त करने का इरादा दूसरी शर्त को पूरा करता है।"

15. किसी व्यक्ति के साथ चोरी की गई संपत्ति का व्यापार कर रहे हैं, इसे स्थापित करने के लिए व्यक्ति का "विश्वास" कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सफल अभियोग के लिए यह साबित करना काफी नहीं है कि आरोपी या तो लापरवाह था या उसे लगा कि संपत्ति चोरी की गई थी, या उसने माल की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त पूछताछ नहीं की। प्रश्न में आने वाले माल की प्रारंभिक पूर्वधारण अवैध नहीं हो सकती है लेकिन यह जानकर उसे बनाए रखना कि यह चोरी की गई संपत्ति थी, उसे दोषी बना देता है।

16. उपरोक्त पक्ष पर, राज्य के लिए श्री गोपाल झा विशेष रूप से जब्ती ज्ञापनको संदर्भित करते हैं, साथ ही PW-5, PW-22, और PW-24 के साक्ष्य को भी, ताकि वे तर्क कर सकें कि उस साक्ष्य से प्रतिस्थापित होता है कि अपीलकर्ता को पता था कि वह चोरी की गई सामग्री में व्यापार कर रहा था। इस पर, महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नं 407/2003 (25.6.2003) में, रु.12,50,000/- ट्रक नं MP 09/D0559 में लोड की गई सामग्री (बर्तन, कपड़े, होजरी सामग्री और इलेक्ट्रिकल सामग्री) की कुल मूल्य के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, जब्ती ज्ञापन(27.6.2003) में, केवल रु.20,000/- को अपीलकर्ता के अधिकार में कथित रूप से जब्त किए गए सामग्री (स्टील आइटम्स, टॉर्च, एल्युमिनियम बॉक्स) की मूल्य के रूप में दिखाया गया है। असमान और अतुलनीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इन

मूल्यों को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोष सिद्धि का समर्थन करने के लिए यथासंभव रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता सामान्य रूप से अपनी दुकान में बर्तन बेचता था और उसे ऐसे घरेलू सामग्री पास होने में कुछ भी असामान्य नहीं है, जैसा कि उससे जब्त किया गया था।

17. राज्य के विद्वेषी परामर्शक अगले रूप में इशारा करते हैं कि आरोपी शिव कुमार के पास स्टील के बर्तन की दुकान थी और ट्रक से चुराई गई कुछ वस्त्रेण उसकी दुकान में बेची गई थीं। इस पर, नितिन जैन (PW-5) का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, PW-5 ने बताया कि विशेष चिह्न वाले बर्तन अपीलकर्ता की दुकान में नहीं बेचे जाते। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, वह ट्रक में ले जाए गए बर्तनों के विशेष चिह्नों को याद नहीं कर पा रहा है। PW-5 के अनुसार, वह यह याद नहीं कर पा रहा है कि अपीलकर्ता के घर में जब्त सामग्री का विवरण नोट किया गया था या बाद में तैयार किया गया था। उसके साक्ष्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) से अन्य आरोपी शत्रुघ्न प्रसाद की दुकान में मिला था और केवल शत्रुघ्न प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस ने वर्तमान अपीलकर्ता, शिव कुमार की गिरफ्तारी की थी। PW-5 के साक्ष्य से, किसी भी तरह से यह स्थापित नहीं होता है कि अपीलकर्ता शिव कुमार जागरूक थे कि उसकी दुकान से जब्त सामग्री, चुराई हुई वस्त्रेण थीं।

18. इसके अलावा, भरत सिंह ठाकुर (PW-22) पन्नागढ़ पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक थे, जिन्होंने जानकारी प्राप्त की थी कि कपड़े और बर्तन कम मूल्य पर बेचे जा रहे थे। इस PW-22 ने जब्ती ज्ञापनपर अपने हस्ताक्षर को साबित करते हुए माना कि आरोपी शिव कुमार के पास एक बर्तन की दुकान थी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से "जल्दबाजी के कारण", जब्ती ज्ञापन(Ext. P-4) पर मुहर नहीं लगाई गई थी। PW-22 के साक्ष्य से यह सुझाव मिलता है कि जब्ती ज्ञापनतैयार करते समय दोषपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया था और महत्वपूर्ण रूप से, उसके साक्ष्य से यह नहीं प्रतित होता है कि अपीलकर्ता को पता था कि उसने वह सामग्री प्राप्त की, जिसमें ट्रक में चुराई गई सामग्री से कोई संबंध था।

19. ठीक उसी तरह, जी.पी. तिवारी, जो कोटवाली, सतना पुलिस स्टेशन के S.I. थे, अपने साक्ष्य में PW-24 के रूप में जब मानते हैं कि उन्होंने अपीलकर्ता, शिव कुमार से जब्त सामग्री के लिए जब्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, तो कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि अपीलकर्ता को पता था कि उससे जब्त सामग्री चुराई गई संपत्ति थी।

20. नितिन जैन (PW-5), उप-निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर (PW-22) और उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) के साक्ष्य में विरोधाभास भी काफी स्पष्ट हैं। उदाहरण स्वरूप, PW-5 के अनुसार, बर्तन उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) द्वारा नितिन जैन (PW-5) की उपस्थिति में जब्त किए गए थे, हालांकि उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) ने अपने साक्ष्य में किसी संपत्ति को जब्त करने का इंकार किया है, जिम्मेदारी की कमी के कारण, कहते हुए कि *"जब्त पुलिस स्टेशन, पन्नागढ़"* द्वारा किया गया होगा और कोटवाली, सतना के पुलिस स्टेशन के अधिकारी द्वारा नहीं। इसके अलावा, रोचक रूप से, उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) के साक्ष्य का समर्थन पुलिस स्टेशन, पन्नागढ़ के उप-निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर (PW-22) द्वारा दिया जाता है कि PW-24 शिव कुमार के घर पर जब्त प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे। उसने भी इंकार किया है कि PW-24 ने जब्त को देखने के लिए नितिन जैन (PW-5) को शिव कुमार के घर बुलाया। इसके अलावा, उप निरीक्षक, जी.पी तिवारी (PW-24) द्वारा लिखी गई जब्त मेमो का समर्थन भी PW-24 द्वारा नहीं किया जाता है। इन सभी असंगतियों को देखते हुए, जब्त साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया जाता है।

21. *"त्रिम्बक बनाम मध्य प्रदेश राज्य5* में, इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए आवश्यक तत्वों पर चर्चा की। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने अपने पंडित विचार में सही रूप से निरीक्षण किया कि धारा 411 IPC के तहत दोष लागू करने के लिए, अभियोजन को साबित करना होगा,

"5. (1) कि चोरी की गई संपत्ति आरोपी के अधिकार में थी, (2) कि आरोपी के अधिकार में जाने से पहले उस संपत्ति का कोई और व्यक्ति अधिकार में था, और (3) कि आरोपी को ज्ञान था कि संपत्ति चोरी की गई संपत्ति थी...."

22. जब हम वर्तमान परिस्थितियों में उस कानूनिक प्रस्ताव को लागू करते हैं, तो अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन ने साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी को ज्ञान था कि उसके अधिकार से जब्त संग्रहित सामान चोरी का माल हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत आरोप लागू करने के लिए यह मौलिक तत्व स्थापित नहीं किया गया।

23. इसके अलावा, एक आरोपी के प्रकटीकरण बयान को आरोपी को ज्ञान होने का सबूत मानने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बर्तन चोरी का माल है। अभियोजन ने यह भी स्थापित करने में विफल रहा है कि आरोपी को यह मानने के लिए कोई आधार था कि उससे जब्त बर्तन चोरी के सामान थे। कम मूल्य पर बर्तन बेचने का तथ्य स्वयं में यह निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा सकता है कि आरोपी को उन सामानों की चोरी का पता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत आरोप का मौलिक तत्व मेंस रिया स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं

है। इस पहलु पर अभियोजन के सबूत को, जैसा कि वे मर्चेंट ऑफ वेनिस में *ग्रेटियानो* के पात्र की चर्चा करेंगे, यथास्थित रूप में विवरणित किया जा सकता है, *"तुम असीमत रूप में कुछ भी नहीं कहते हो।"*[6]

24. जैसे मामले में, जहाँ मौलिक सबूत उपलब्ध नहीं है और कानून आरोपी के पक्ष में झुकाव रखता है, समवैधानिक निष्कर्ष के बावजूद, न्यायालय को स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस प्रकारहरियाणा *राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाम कॉर्क निर्माण कंपनी 7* । से संकेत लेते हुए, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत असाधारण क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यायासिकता को स्वीकार किया जाता है ताकि जिसे अपराध में उसके *आपराधिक मनःस्थिति* को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के बिना दोषी माना गया हो, उसे न्याय मिल सके।

25. इन परिस्थितियों में, जहाँ यह स्थापित नहीं किया गया है कि आरोपी धोखाधड़ी से चोरी का संपत्ति प्राप्त किया और ज्ञान और विश्वास के साथ उसके अधिकार में पाया गया सामान चोरी का माल था, हमारे दृष्टिकोण में, आरोपी की धारा 411 IPC के तहत सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसलिए, *Trimbak* [उपरोक्त] में परीक्षण लागू करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि आरोपी को गलती से दोषी माना गया था। इसलिए, हम आरोपी की बरी होने का आदेश देते हैं। इस आदेश के साथ अपील मंजूर की जाती है।

देविका गुजराल अपील मंजूर की जाती है।

(सहायक: शेवाली मोंगा, LCRA)

1 (2010) 10 SCC 374
2 1980 (Supp) SCC 336 3
3. AIR 1964 SC 1184
4 AIR 1963 SC 1572
5 AIR 1954 SC 39
6 (2007) 8 SCC 120

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित